# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2022

**प्रार्थी**

1. चमनाराम पुत्र खेमाराम जाति माली निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. अजु पुत्री केरा
2. जेठाराम पुत्र केरा
3. बबी पुत्री केरा
4. भला पुत्र केरा
5. रूपा पुत्र केरा
6. रावता पुत्र केरा
7. शान्ता पुत्री केरा
8. सुकी पुत्री केरा
9. बलवन्ताराम पुत्र खेमाराम जातियान माली
10. बाबु पुत्र हिन्दु
11. वगता पुत्र हिन्दु
12. हरजी पुत्र हिन्दु
    समस्त जातियान धांची निवासी बडगांव
13. ओखाराम पुत्र माधा
14. काला पुत्र रामजी
15. खुमा पुत्र रामजी
16. गगी पुत्री जीवा
17. गेमा पुत्र हरनाथा
18. गीता पुत्री पुनमा
19. छगना पुत्र प्रेमा
20. जेठीबाई पत्नि जीवा
21. जवारा पुत्र हरनाथा
22. जितुराम पुत्र जीवा
23. तगी पत्नि पुनमा
24. तलका पुत्र रामजी
25. तोला पुत्र रामजी
26. पार्वती पुत्री माधा
27. भलाजी पुत्र पुनमा
28. भवरी पुत्री माधा
29. मुकेश पुत्र माधा
30. मगु पुत्र माधा
31. मोहन पुत्र हरनाथा
32. रणछोडा पुत्र हरनाथा
33. रामुबाई पुत्री जीवा
34. समरथ पुत्र प्रेमा
35. सरूपा पुत्र छोगा
36. [illegible] पुत्र माधा समस्त जातियान [illegible] निवासी बडगांव
37. [illegible]
38. [illegible] पुत्री उगरा
39. [illegible] पुत्र उगरा
40. [illegible] पुत्री उगरा
41. रतना पुत्र उगरा
42. लीला पुत्री उगरा समस्त जातियान धांची निवासी बडगांव
43. जीवा पुत्र मोती जाति मेधवंशी निवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:51:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

बडगांव

44. शाखा प्रबंधक जालोर सहकारी भुमि विकास बैक शाखा रानीवाडा
45. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. बैक लिमिटेड शाखा रानीवाडा
46. तहसीलदार रानीवाडा

**अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 46 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

## निर्णय

दिनांक – 24.05.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी आराजी मौजा बडगांव में आई हुई है। उनके खसरा नबंर 2087/982, 983, 984 जुमले रकबा 0.75 हेक्टेयर है। उनके पडौस में अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी आई हुई है, उनके खसरा नबंर 986 रकबा 1.16 हेक्टेयर, खसरा नबंर 988 रकबा 0.69 चाही उत्तम, खसरा नबंर 991 रकबा 1.53 हेक्टेयर, खसरा नबंर 969 रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा नबंर 2087/982 रकबा 0.65 हेक्टेयर है। प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के कार्यालय में आवेदन पत्र पैमाईश बाबत पेश किया जो रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 31 क्रमांक 12/1/12/2021 को आदेश जारी किया गया उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी बडगांव ने अडौस पडौस के खातेदारो को सुचित कर पैमाईश हेतु मौके पर उपस्थित रहने को दिनांक 24.12.2021 को हल्का पटवारी द्वारा खसरा नबंर 2087/982, 983, 984 जुमले रकबा 0.75 हेक्टेयर की पैमाईश जी.पी.एस. के माध्यम से शुरू की, तो अडौस–पडौस के खातेदारो ने मौके पर हंगामा करना शुरू किया, इस प्रकार उक्त अडौस–पडौस की आराजी की पैमाईश संभव नही हो सकी मौके पर विवाद विधमान है। विवाद का जिक्र मौका फर्द में स्पष्ट किया गया है। मौतबिरानों के रूबरू पैमाईश फर्द पर हस्ताक्षर करने से भी अडौस–पडौस के खातेदारो ने मना कर दिया। उक्त विवादित आराजी के समस्त खसरानों की आराजी के खातेदारों को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। तथा खसरानों का स्पष्ट विवरण पुर्व के पैरा नबंर 1 में जिक्र किया हुआ है। अतः विवादित आराजी की पैमाईश व स्थायी सीमाज्ञान कमेठी गठित कर पुलिस इमदाद में ही संभव है।
2. यह है कि प्रार्थी गरीब है अडौस–पडौस के खातेदार मेरी खातेदारी आराजी की माठ को रोजाना तोडते रहते है तथा के किसी का भी कहना नहीं मानते, मरने मारने पर उतारू है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी पेश करना अनिवार्य हो गया है। अतः प्रा[illegible] बाबत स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा बडगांव के खसरा नबंर 2087/982, 983, 984 जुमले रकबा 0.75 हेक्टेयर की पैमाईश हेतु कमेठी गठित कर पुलिस इमदाद के साथ पैमाईश करने के आदेश फरमावें।
3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 45 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 46 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा विवाद होने की स्थिति को स्वीकारते हुए जवाब पेश नही कर बहस का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:51:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 46 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.12.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। जिसमें मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 2087/982, 983, 984 जूमले रकबा 0.75 हेक्टेयर की पैमाईश करने पर मौके पर पडौसी खातेदार ने पन्द्रह– बीस व्यक्तियों ने हंगामा किया और पैमाईश नही होने दी। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस में भी मौके पर विवाद होने से पैमाईश नहीं होना बताया व विवाद की स्थिति को स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नम्बर 2087/982, 983, 984 जूमले रकबा 0.75 हेक्टेयर के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

## –: आदेश :–

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद बडगांव पटवारी मण्डल बडगांव के खसरा नम्बर 2087/982, 983, 984 रकबा क्रमश 0.65, 0.02, 0.08 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:51:46 IST
Reason: SelfAttested